भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1790
10.12.2025 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड्स) में वृद्धि

1790. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रत्येक लोक सभा सांसद को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि के अंतर्गत प्रति वर्ष केवल पांच करोड़ रुपये दिए जाते हैं जबकि देश के कई राज्यों में विधान सभा के प्रत्येक सदस्य (विधायक) को विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये की वार्षिक निधि दी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस असमानता की जानकारी है कि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 6-7 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इतने बड़े लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि को बढ़ाकर 30 करोड़ से 35 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, प्रत्येक माननीय संसद सदस्य को प्रतिवर्ष ₹ 5.00 करोड़ की राशि प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हों। जबकि विधान सभा सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) की वार्षिक पात्रता अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हो सकती है और यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

(घ) जी नहीं ।
